तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टी.ए./1223/2003/बीकानेर** **सरकार बनाम तेजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता
अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद तामील अनुपस्थित

—

निर्णय

दिनांकः— 19.02.2026

यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अपील संख्या 75/1983 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.1987 के विरूद्व पेश की गई है ।

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थ्रीगण के द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 15 एएए राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 125 भू—राजस्व अधिनियम का विरूद्व प्रार्थी सरकार के व अप्रार्थी जगमाल/जोरूराम के इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 173, 177, 1189 व 1188 कुल रकबा 158 बीघा 9 बिस्वा ग्राम बागड़सर में स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी/वादीगण की पुस्तैनी कृषि भूमि है तथा उनके रिहायशी ढाणी व कुण्ड बने हुए है तथा राजस्व भी अदा करते आ रहे है तथा मौके पर कब्जा काश्त है । पूर्व में यह जैसलमेर रियासत में था, जहां राजस्व अभिलेख तैयार नहीं किया जाता था, केवल मौखिक रू॰ से आराजी बता दी जाती थी । उक्त क्षेत्र का समरी बंदोबस्त सर्वप्रथम संवत् 2012 में किया गया । उस समय बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से व ग्राम के गिने चुने व्यक्तियों के कथनानुसार काश्तकारों के नाम कर कर दिए थे तथा उनका कब्जा होते हुए भी अप्रार्थी जगमाल का नाम दर्ज कर दिया गया तथा पुख्ता सेटलमेंट हुआ तब समरी बंदोबस्त के इंद्राज को ही दोहरा दिया गया । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम गलत दर्ज कर दी गई है जो कागज दुरूस्ती है व उनका कब्जा संवत् 2012 से निरन्तर होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टी.ए./1223/2003/बीकानेर** **सरकार बनाम तेजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी नहीं है ना ही उसका कब्जा है। अतः वाद खारिज किया जावे । अप्रार्थी के द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.1987 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया तथा डिक्री की पालना में वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज का आदेश कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 18. 07.1995 को ए.सी.एम. कोलायत के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु धारा 232 आर.टी.एक्ट. के तहत राजस्व मण्डल को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया । उक्त रेफरेंस को कलेक्ट एवं उपायुक्त, उपनिवेशन बीकानेर ने दर्ज रजिस्टर कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया । तत्पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 24.02.1997 को रेफरेंस खारिज कर दिया । तत्पश्चात् कार्यालय आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर के द्वारा इन प्रकरणें को विधिक परीक्षण के पश्चात् दिनांक 14.05.2002 को उप निवेशन, तहसीलदार कोलायत नं0 1 को यह आदेश दिया कि इन प्रकरणों में राजकीय अभिभाषक से संपर्क कर धारा 221 आर.टी0एक्ट सपठित धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम के तहत सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.1987 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत मण्डल के समक्ष पेश किया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थी/वादी अपने वादपत्र में यह कहकर आया था कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है तथा वे पीढ़ी–दर–पीढ़ी काश्त करते आ रहे है तथा लगान भी जागीरदार को अदा करते आ रहे है । इस कारण उन्होनें गैर खातेदार दर्ज करने हेतु निवेदन किया किन्तु इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टी.ए./1223/2003/बीकानेर** **सरकार बनाम तेजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वाद डिक्री करने में भारी भूल की है । अधी0न्याया0 द्वारा जो डिक्री जारी की गई थी वह बरबे इकबाली जवाबदावा अप्रार्थी ने हांसिल की थी जो षड़यंत्रपूर्वक थी तथा पक्षकारों के द्वारा मुद्रांक शुक्ल व पंजीयन शुल्क के प्रावधानों से बचने के उद्देश्य से की गई थी, वह कानूनन नहीं थी । अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.1987 एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर का निर्णय दिनांक 24.09.1997 निरस्त किये जावे । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त निर्णय व डिक्री विभाग द्वारा पत्रावलियों का विधिक परीक्षण करने के उपरांत आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर की जानकारी में आने पर उन्होंने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व मण्डल में रेफरेंस प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु उप निवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 1 को निर्देशित किया । जिस पर तहसीलदार द्वारा रिकार्ड एकत्रित यिका एवं माह जुलाई, 2002 में राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर पेश किया । प्रार्थना पत्र पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर मियाद शुमार किया जावे । हमनें प्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाता है । प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद इस आधार पर पेश किया था कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिस पर वह राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के समय से काबिज थे । इस संबंध में अधी0न्याया0 अतिरिक्त सहायक उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02. 1987 का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टी.ए./1223/2003/बीकानेर** **सरकार बनाम तेजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी/अप्रार्थी का वाद केवल मात्र मौखिक कथनों एवं इकबाली जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित आराजियात पर वादी/अप्रार्थी अथवा उनके पूर्वजों का संवत् 2012 एवं उससे पूर्व कब्जा काश्त रहा हो । अधी0न्याया0 ने बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है । परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार किया जाता है । सहायक आयुक्त, उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.1987 अंतर्गत अपील संख्या 75/83 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, कोलायत नं0 1 जिला बीकानेर को निर्देश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजियात को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लेने की विधिनुसार कार्यवाही करे । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	